उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, A & D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010 (उ0प्र0)
टेलीफोन:91–522–2723921, टोल फ्री: 18001805412
ई–मेल: upbocboardlko@gmail.com

पत्रांक : /भ0नि0बोर्ड–(2110)/2022 दिनांक :

:: <u>अधिसूचना</u> ::

अवगत कराना है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित **कन्या विवाह सहायता योजना को सरलीकृत करते हुए, नई "कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)" संचालित किये जाने** हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 25/2022/2155322/2022/श्रम–2 दिनांक 10.08.2022 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनापत्ति के अनुक्रम में योजना निम्नवत् है :–

<u>1–योजना का नाम– कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)</u>

<u>2–योजनां का उददेश्य–</u>

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।

<u>3–पात्रता–</u>

इस योजना के अन्तर्गत वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगें जो बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लिये ऐसे अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेंगे जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों।

<u>4–आवेदन की प्रक्रिया–</u>

विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन करना होगा, परन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा–

I. प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम आयु नहीं होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा।
II. निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा।

III. संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सार्टिफ़िकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।

IV. विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो।

V. पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

VI. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

VII. विवाह होने संबंधी (वर–वधू) का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो।

VIII. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन/स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

IX. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

<u>5–देय हितलाभ का विवरण–</u>

I. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रू0 55,000/–(रूपये पचपन हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रू0 61,000/– (रूपये इकसठ हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोडों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु रू0 65,000/–(रूपये पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि बोंर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू0 7,000/–प्रति जोड़े की दर से भुगतान बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु धनराशि रू0 5000/– प्रत्येक की दर से धनराशि सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 01 सप्ताह पूर्व पंजीकृत श्रमिक के खाते में अन्तरित की जायेगी एवं यदि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष उपस्थित नहीं होंता है, तो ऐसी दशा में सामान्य/अन्तरर्जातीय विवाह (जैसी भी स्थिति हो) में देय धनराशि में पोशाक हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

II. यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की 02 संतानों की सीमा के अधीन तक ही अनुमन्य होगी।

III. पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता/माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह हितलाभ केवल उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह–विच्छेद वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। विवाह विच्छेद के प्रकरणों में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि तथा पति की मृत्यु के उपरान्त किये जाने वाले पुनर्विवाह की दशा में सक्षम

स्तर से निर्गत पंति के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक अभिलेख के रूप में वाँछित होगी। पुनर्विवाह के प्रकरणों में देय हितलाभ की धनराशि सामूहिक विवाहों के प्रकरणों में देय धनराशि के समतुल्य होगी।

IV. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।

6–हितलाभ स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया–

श्रमिक द्वारा पुत्री के विवाह होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन ऑनलाइन करना होगा, परन्तु श्रमिक द्वारा अपनी पुत्री के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन ऑनलाइन करना होगा।

ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो पर जॉच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर (विवाह पूर्व आवेदन की स्थिति में विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त वांछित अभिलेख संलग्न करने के 15 दिन के भीतर) अपनी अनुशंसा की जायेगी। स्वीकर्ता अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अपर/उपश्रमायुक्त द्वारा अनुशंसा के 15 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खातें/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त समय–सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

7–कठिनाइयों का निवारण –

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होगे और इस संबध में कोई दिशा निर्देश आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है, अतएव उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित कन्या विवाह सहायता योजना को उक्त योजना की अधिसूचना की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(विपिन कुमार जैन)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक : 3247-57 /भ0नि0बोर्ड–(2110)/2022 दिनांक : 16/08/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. विशेष सचिव, श्रम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या : 25/2022/2155322/2022/श्रम–2 दिनांक 10.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा समस्त जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. लेखा प्रभाग, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद को बोर्ड के वेब–पोर्टल पर अपलोड कराने तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित कन्या विवाह सहायता योजना को समाप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
10. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद से समन्वय स्थापित करते हुए, बोर्ड के वेब–पोर्टल पर अपलोड कराने तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित कन्या विवाह सहायता योजना को समाप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
11. गार्ड फाईल हेतु।

(विपिन कुमार जैन)
सचिव, बोर्ड।